अध्याय- 3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

अध्याय - 3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

नीतिगत पहल

3.1 छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) जो 18.10.2007 से लागू है, के अंतर्गत, 4200 टन प्रतिवर्ष कोयले की वार्षिक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण के लिए 8 मि.ट. कोयला निर्धारित किया गया है। ये एजेंसियां राज्य सरकार की एजेंसियां/केन्द्र सरकार की एजेंसियां / राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) / राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) इत्यादि अथवा वे उद्योग संघ हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार उचित समझती हो। इस प्रकार से अधिसूचित एजेंसी को कोयले कंपनी के साथ एफएस करार करना अपेक्षित होगा। इस प्रकार से अधिसूचित एजेंसी तब तक कोयला का वितरण करना जारी रखेगी जब तक राज्य सरकार उसके अधिसूचना का रद्द करने का निर्णय न ले। ये राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की एजेंसियां अपने निजी वितरण तंत्र बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन उस तंत्र को आम लोगों का विश्वास प्राप्त हो और उसके फलस्वरूप कोयले का वितरण पारदर्शी तरीके से हो सके। संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के विभागों जिनका इन एजेंसियों पर प्रशासनिक नियंत्रण हो, यह सुनश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि लक्षित उपभोक्ता के लिए आवंटित कोयले का वितरण उचित और पारदर्शी तरीके से हो और इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए। ऐसी एजेंसियों से वसूला गया मूल्य एफएस करार करने वाले अन्य उपभोक्ताओं का यथा लागू अधिसूचित मूल्य होगा लेकिन वह एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूली जाने वाली आधार मूल्य के अलावा वास्तविक धारा और सेवा प्रभार के रूप में 5% मार्जिन तक वसूलने का हकदार होगा।

वर्ष 2010-11 के लिए 21 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों ने एजेंसियों के लिए अपने नामांकन / पुष्टि भेजी है जिनके पक्ष में लघु और मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वितरण के लिए कोयला रिलीज की जानी थी। 27 राज्य एजेंसियां हैं जिन्हें एफएसए के अंतर्गत निकासी के लिए 5.76 मि.ट. कोयले आवंटित किए गए थे। परन्तु अभी तक 24 राज्य एजेंसियां एफएसए के अंतर्गत 3.95 मि.ट. कोयले की वार्षिक संविदात्मक मात्रा ले रहे हैं। नवम्बर, 2010 तक, राज्य एजेंसियों को आपूर्ति की गई कोयले की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.75 मि.ट. की तुलना में 1.81 मि.ट. थी।

सिंगरैनी कोलियरीज कपनी लि. में उपभोक्ताओं का एनसीडीपी के पूर्व मौजूद कोर और गैर- कोर क्षेत्र में वर्गीकरण को एनसीडीपी में समाप्त कर दिया गया। एससीसीएल उद्योग विभाग की सिफारिश के आधार पर कोयले की आपूर्ति कर रही है। जिसमें उद्योग विभाग की सिफारिशें पर नियामक मात्रा और सिफारिश की गई मात्रा का उनका एनपीक्यू 75% निर्धारित करने पर विचार किया गया है। वे ईकाईयां जहां मात्रा 350 टीपीएम / 4200 टीपीए (सिफारिश की गई मात्रा का 75%) से कम है, कोयले की आपूर्ति अधिसूचित मूल्य पर की जाती है।

हाल में उन ईकाईयों को उद्योग विभाग द्वारा सिफारिश की गई नए आवंटनों पर विचार करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है जिनका वार्षिक उपभोग 4200 टीपीए / 350 टीपीएम से अधिक है और जिनका अनुमोदन लागत जमा मूल्य (पिछले वर्ष की भारित औसत ई-नीलामी मूल्य) पर 19.05.2010 के बाद किया गया था।

वर्तमान में, एससीसीएल लगभग 26.76 लाख टन की मात्रा के लिए एफएसए के अंतर्गत 201 लघु और मध्यम ईकाईयों को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। सभी एफएसए में, आपूर्ति करने / खरीदने के लिए न्यूनतम बाध्यता वार्षिक संविदा मात्रा (एससीक्यू) का 60% रखा गया है। लघु और छोटे-छोटे उद्योगों जिनकी सिफारिश की गई मात्रा 350 टीपीएम से कम (नियामक मात्रा का 75%) है, को गैर-एफएसए श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी। एससीसीएल ऐसे 842 ईकाईयों को कोयले की आपूर्ति कर रहा है और उनका वार्षिक उपभोग लगभग 13.59 लाख टन होगा।

3.2 " लागत जमा आधार" पर कोयले की आपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय रूप से गैर-व्यवहार्य विशिष्ट खानों / परियोजनाओं को 12% का आईआरआर सुनिश्चित करने और उत्पादन का एक निर्धारित स्तर बनाए रखने के लिए लागत जमा आधार पर पेशकश की जाती है। उपभोक्ताओं को ऐसे खानों / परियोजनाओं से कोयले की आपूर्ति के लिए लागत जमा करार करना अपेक्षित होता है। प्रारंभ में ऐसी परियोजनाओं को एकमात्र उपभोक्ताओं को लागत जमा आधार पर पेशकश की गई थी और 5 विशिष्ट परियोजनाओं से कोयले की आपूर्ति के लिए 5 लागत जमा करार डब्ल्यूसीएल द्वारा महाजेनको के साथ और 2000 एवं 2008 के बीच एक करार मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेन्ट लि. के साथ किया गया था। एनसीडीपी के पूर्व, उपभोक्ताओं को स्थायी लिकेंज समिति-दीर्घावधि (एसएलसी(एल-टी) द्वारा लागत जमा लिंकेज दिया गया था। एनसीडीपी के बाद भी, उपभोक्ताओं को लागत जमा आधार पर एलओए जारी करने के लिए एसएलसी (एल-टी) द्वारा सिफारिश की गई है।

इस आश्य के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, लागत जमा परियोजनाओं की पेशकश मौजूदा लिंकेज होल्डरों, एफएसए होल्डरों और फिर भावी एलओए आवेदकों को-आईपीपी सहित विद्युत क्षेत्र को वरीयता देते हुए, फिर उसके बाद उर्वरक, सीमेन्ट, स्पोंज ऑयरन को की जा सकती है। लागत जमा परियोजनाओं की अब पेशकश बहुसंख्यक उपभोक्ताओं को की जा सकती है और यदि लागू की गई कुल मात्रा अनुमानित उत्पादन से कम होता है, तब शेष मात्रा की पेशकश दीर्घावधि ई-नीलामी के माध्यम से की जा सकती है और ऐसे नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण ऐसे खानों से उत्पादन की लागत को ध्यान में रखकर किया जा सकता है।

एससीसीएल ने सीमेन्ट और केप्टिव विद्युत यूनिटों को दिए गए एलओए के विरूद्ध कोयले की आपूर्ति के लिए लागत जमा ब्लाकों की पहचान की है। एलओए जारी किए जाने के पश्चात एससीसीएल ने 9 सीमेन्ट यूनिटों और 13 सीपीपी के साथ लागत-जमा श्रेणी के तहत एफएसए पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि बास्केट लिंकेज के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त कोयला नहीं है। एससीसीएल उन यूनिटों को कोयले की आपूर्ति कर रही है जिन्होंने लागत जमा खानों के प्रारंभ होने तक भारित औसत ई-नीलामी मूल्य पर पहले ही उत्पादन आरंभ कर दिया है।

3.3 ई-नीलामी

एनसीडीपी ने ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की ब्रिकी के लिए एक नई योजना को आरंभ करने के वास्ते मार्ग प्रशस्त किया। ई-नीलामी 2 तरह की होती है अर्थात मौके पर ई-नीलामी और फॉरवर्ड ई-नीलामी। मौके पर ई-नीलामी एनसीडीपी के पूर्व प्रचलित पुरानी ई-नीलामी योजना जैसी ही है जिसमें कोई भी इच्छुक क्रेता नीलामी में भाग ले सकता है। फॉरवर्ड ई-नीलामी के मामले में, केवल अन्त्य प्रयोक्ता / वास्तविक उपभोक्ता पात्र हैं जिन्हें 1 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान कोयले आपूर्ति का आश्वासन मिला हुआ है। प्रत्येक फॉरवर्ड ई-नीलामी 12 महीनों की अवधि के लिए होगी जिसमें प्रत्येक 3 महीने की तिमाही के बाद चौथी तिमाही होगी और उपभोक्ताओं को एक बार में किसी एक तिमाही अथवा सभी चार तिमाहियों के लिए बोली लगाने की छूट होगी। फॉरवर्ड ई-नीलामी के अंतर्गत पेशकश के लिए चयनित संसाधनों में कम से कम 15 दिनों के उत्पादन का अतिरिक्त भण्डार और एफएसए (ईंधन आपूर्ति करार) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को समान्य प्रेषण सुनिश्चित करने के बाद ही होता है। जबकि मौके पर ई-नीलामी के मामले में वर्तमान में पेशकश किए गए कोयले न्यूनतम रिजर्व मूल्य के रूप में अधिसूचित मूल्य से 30% अधिक होता है, फॉरवर्ड ई-नीलामी के मामले में, रिजर्व मूल्य का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या कोई खान लाभ में चल रहा

है अथवा नहीं, कोयले की सभी श्रेणी के कोयले की अधिसूचित मूल्य जमा कोयले की अधिसूचित मूल्य का 60% पर निर्धारित होता है। जबकि मौके पर ई-नीलामी नवम्बर, 2007 से लागू है, फॉरवर्ड ई-नीलामी अगस्त, 2009 से शुरू हुई। फॉरवर्ड ई-नीलामी इस योजना में शामिल कुछ शर्तों को कार्यान्वित करने में कठिनाईयों के कारण पूर्व में शुरू नहीं की जा सकी। इन कठिनाईयों का समाधान बाद में किया गया था। प्रांरभ में फॉरवर्ड ई-नीलामी के अंतर्गत रिजर्व मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत जमा उचित रिटर्न अथवा अधिसूचित मूल्य से 100% ज्यादा इसमे से जो भी कम हो के रूप में किया गया था जो 31.03.2010 तक जारी रही। चूंकि यह नोट किया गया था कि इस प्रकार की अधिक रिजर्व मूल्य बाधक बन रहे हैं और इससे वास्तविक निष्पादन में रूकावट पैदा हो रही है, वर्ष के प्रांरभ में रिजर्व मूल्य अधिसूचित मूल्य से 80% अधिक तक कम कर दिया गया था। तब भी निष्पादन उत्साहजनक नहीं पाया गया। इसलिए, वर्ष के मध्य में रिजर्व मूल्य को और अधिक घटाकर 60% कर दिया गया है। एनसीडीपी के अंतर्गत, सीआईएल को यह अधिकार दिया गया है कि वह सीआईएल की अनुमानित वार्षिक उत्पादन का लगभग 10% की पेशकश करे और सफल बोलीदाताओं को आवंटित मात्रा 10% अथवा उससे अधिक रही है।

एनसीडीपी के कार्यान्वयन के बाद ई-नीलामी का निष्पादन नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	**मौके पर ई-नीलामी**				**फॉरवर्ड ई-नीलामी**	
	नवम्बर 2007-मार्च,2008	**अप्रैल 2008-मार्च,2009**	**अप्रैल 2009-मार्च,2010**	**अप्रैल 2010-दिस.,2010**	**अप्रैल 2009-मार्च,2010**	**अप्रैल 2010-दिस. 2010**
बोलीदाताओं की सं.	27954	73248	78155	51817	22	211
सफल बोलीदाताओं की सं.	14069	43428	40848	31637	22	166
पेशकश की गई कुल मात्रा (लाख टन में)	174.996	919.575	541.392	377.36	48.980	241.74
आवंटित कुल मात्रा (लाख टन में)	155.695	488.744	457.321	323.64	5.535	43.35
कुल आवंटित मात्रा का अधिसूचित मूल्य (करोड़ रू. में)	1382.935	4577.918	4528.956	3373.25	58.729	361.21
कुल आवंटित मात्रा का बोली मूल्य (करोड़ रू. में)	2511.35	7237.114	7238.478	6106.34	117.473	752.38
अधिसूचित मूल्य से % वृद्वि	81.6	58.1	59.8	81.0	100.02	108.30

एनसीडीपी के अनुसार, एससीसीएल दिसम्बर, 2007 से ई-नीलामी कर रहा है। दिसम्बर, 2007 से दिसम्बर, 2010 के दौरान एससीसीएल द्वारा मौके पर ई-नीलामी के आयोजन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	पेशकश की गई मात्रा (टन में)	बेची गई मात्रा (टन में)
दिस.,2007-2008	1116900	996474
2008-2009	2806800	2634990
2009-2010	1545000	1287985
2010-2011 (दिसम्बर, 2010 तक)	1949300	1665437

3.4 कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपाय :

स्वदेशी कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोल इंडिया लि. ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) 11वीं योजना अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा 142 खनन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पहचान किया गया था। इन 142 परियोजनाओं में से 184.78 मि.ट. प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता से 77 परियोजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 195.44 मि.ट. प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता से शेष 65 परियोजनाएं अनुमोदन/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) सतत खनिक और शटल कार युग्म वाले व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी और एसडीएल / एलएचडी जिसमें उच्च गति से यांत्रिकीकृत ड्रिलिंग आदि की सुविधा हो, को जहां जिओ माईनिंग खनन स्थितियां अनुकूल हो उसे लागू करना।

(ग) कुछ भूमिगत कोयला खानों / ब्लॉकों की पहचान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ उच्च क्षमता से विकास, निर्माण और प्रचालन के लिए की गई है।

(घ) उच्च क्षमता वाले उपकरण का बेंच हाइट और स्ट्रीपिंग अनुपात के अनुरूप उन्नयन।

(ड.) विभिन्न सहायक कंपनियों में रेलवे अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

(च) उपकरण की उपयोगिता में सुधार।

(छ) परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन।

(ज) सभी नई खानों को यंत्रीकृत किया जा रहा है।

(झ) भूमिगत तथा ओपनकास्ट, दोनों खानों में उत्पादकता बढ़ाना।

एससीसीएल ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(क) जहां व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ किया गया है।

(ख) हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) तथा अन्य उपकरणों के क्षमता उपयोग में सुधार लाना।

(ग) भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार लाना।

- भूमिगत से ओपनकास्ट खानों में कोयला उत्पादन बढ़ाना। कंपनी प्रत्येक वर्ष क्षमता वर्धन की योजना बना रहा है और उसे कार्यान्वित कर रहा है।
- दो उच्च क्षमता (2.0 एमटीपीए प्लस) लांगवाल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
- 2 सतत खनिक खड़े पिल्लरों और अप्रयुक्त कोयला सीमों को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। एससीसीएल की उत्पादन संभावना बढ़ाने के लिए अपने भूमिगत खानों में काफी संख्या में सतत खनिकों को लाने की योजना है।
- इन परियोजनाओं की सफलता के आधार पर, एससीसीएल की भावी परियोजनाओं में उसे दोहराने की योजना है।
- 100 टन क्षमता डम्परों और 12 घन मीटर शॉवलों को उत्पादन संभावना बढ़ाने और अधिक बोझ को हटाने के लिए एससीसीएल की ओपनकास्ट खानों में लगाने की योजना है।

3.5 आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना

16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों (3 सीसीएल में, 6 एनसीएल में, 3 एसईसीएल में तथा 4 एमसीएल में) की पहचान की गयी है जहां वर्तमान खानों/ परियोजनाओं से 71.30 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

कोयले की मांग में वृद्धि को देखते हुए, सीआईएल ने आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना तैयार की है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :-

आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं :

(दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	टिप्पणी
1	लखनपुर ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	10	15	5	116.54	116.54 करोड़ रू. की स्वीकृत पूंजी से 15 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 5 मि.ट. प्रतिवर्ष) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 08 में अनुमोदित हो गई है। ईएमपी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। 84.399 हेक्टेयर के लिए वनभूमि प्रस्ताव की चरण I मंजूरी की प्रतीक्षा है।
2	अशोक ओपनकास्ट सीसीएल	6.5	10	3.5	341.63	10 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। पर्यावरणीय मंजूरी अप्रैल 08 में प्राप्त कर ली गई है। वन संबंधी अनुमोदन और आर एंड आर कार्यकलाप प्रगति पर है।
3	कनिहा ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	3.5	10	6.5	457.77 (96.18 – मौजूदा पूंजी सहित)	457.77 करोड़ रू. की पूंजी से 10 मि.ट. प्रतिवर्ष (6.5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) हेतु विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। पर्यावरणीय मंजूरी अक्टूबर, 07 में प्राप्त हुई। 155.18 हेक्टेयर वन भूमि की चरण-I मंजूरी के लिए सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित खनन योजना सीसीएफ (एन), भुवनेश्वर को 30.07.08 को सौंपी गई। पेड़ों की गणना और चारदीवारी का कार्य चल रहा है।
4	भुवनेश्वरी विस्तार, एमसीएल	10	20	10	490.10 (336.68 – मौजूदा पूंजी सहित)	490.10 करोड़ रू. की पूंजी से 20 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 10 मि.ट. प्रतिवर्ष) हेतु विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है।

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	टिप्पणी
						10 वृद्धिक मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईएमपी अनुमोदन प्रतीक्षित है। 199.55 हेक्टेयर वनभूमि में से 112.52 हेक्टे. के लिए चरण-II के लिए 16.12.04 (प्रथम 25 वर्ष) को प्राप्त हुई। 86.866 हेक्ट. में पेड़ों की गणना पूरी हो गई है।
5	दीपिका ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	20	25	5	675.13 (यूसीई-जुलाई-08)	सीआईएल द्वारा अक्टूबर, 09 में दीपिका ओसी (25 मि.ट. प्रति वर्ष) अनुमोदित की गयी। 25 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय मंजूरी जून 2009 में अनुमोदित की गई। कोई अतिरिक्त वनभूमि शामिल नहीं है।
6	गेवरा ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	25	35	10	1008.11	चालू परियोजना (25 मि.ट. प्रतिवर्ष)। 35 मि. ट. प्रतिवर्ष के लिए ईसी जून,09 में प्राप्त हुई। 35 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन की प्रक्रिया में है। अपेक्षित वन भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है।
7	कृष्णाशिला ओपनकास्ट, एनसीएल	4	4	-	-	चालू परियोजना (4.00 मि.ट. प्रतिवर्ष)। विस्तार परियोजना रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है। कोयला उत्पादन 2007-08 में शुरू हुआ। हैम की खरीद प्रगति पर है। 148.86 हेक्टेयर वनभूमि को छोड़कर सभी भूमि कब्जे में है। इसके लिए पेड़ काटने तथा गिराए गए पेड़ों को ढोने का कार्य मई, 09 में पूरा किया गया। उ.प्र. वन विभाग द्वारा भूमि अभी हस्तांतरित की जानी है।
8	अम्लोहरी ओपनकास्ट विस्तार,	4	5	1.0		पूर्ण हुई परियोजना (4.00 मि.ट. प्रतिवर्ष)। 1352.04 करोड़ रू. की वृद्धिक पूंजी के लिए 10 मि.ट.

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	टिप्पणी
	एनसीएल					प्रतिवर्ष वृद्धिक (6मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) की विस्तार परियोजना रिपोर्ट मई 06 में स्वीकृत हुई। ईसी (10 मि.ट. प्रतिवर्ष) फरवरी, 06 में प्राप्त हुई।
9	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	10	15	5	450.56	15 मि.ट. प्रतिवर्ष (5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट 450.66 करोड़ रू. की वृद्धिक पूंजी से जून, 08 में अनुमोदित हुई। ईसी (15 मि.ट. प्रतिवर्ष) जून,09 में अनुमोदित की गई। 206 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि (नियमितीकरण) के लिए वन मंजूरी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पास लंबित है।
10	ब्लाक बी ओपनकास्ट, एनसीएल	3.5	3.5	-	-	चालू परियोजना (3.5 मि.ट. प्रतिवर्ष)। विस्तार परियोजना रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है। कोयला उत्पादन 2007-08 के दौरान शुरू हुआ। शेष वनभूमि (85 हे.) की वर्ष 2013-14 में आवश्यकता होगी।
11	मगध ओपनकास्ट विस्तार, सीसीएल	12	20	8	706.40 (कुल ओएस विकल्प)	706.40 करोड़ रू. (20 मि.ट. प्रति वर्ष) की पूंजी से विस्तार परियोजना रिपोर्ट (20 मि.ट. प्रतिवर्ष) अगस्त, 08 में अनुमोदित हुई। भूमि और आर एंड आर क्रियाकलाप प्रगति पर है।
12	भरतपुर ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	11	20	9	131.39 (5 वर्ष के लिए कोयला एवं ओबी-ओएस वृद्धिक)	चालू परियोजना (20 मि.ट. प्रतिवर्ष)। सीआईएल बोर्ड द्वारा विस्तार परियोजना रिपोर्ट 12.2.07 को अनुमोदित की गई। ईसी (20मि.ट.प्रतिवर्ष) अक्तूबर, 08 में प्राप्त हुई। 134.41 हे. भूमि (मूल परियोजना के लिए भूमि सहित) के चरण-I के लिए आवेदन पीसीसीएफ,

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	टिप्पणी
						उड़ीसा सरकार को अग्रेषित किया गया। 14.11.09 को प्रस्ताव को एसटी एण्ड ओटीएफडी अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर से एनओसी प्राप्त करने के लिए सीसीएफ(एन)को वापस भेजा गया। एनओसी के लिए कलेक्टर से अनुरोध किया जा रहा है।
13	खादिया ओपनकास्ट विस्तार, एनसीएल	4	4.8	0.8	-	विस्तार परियोजना रिपोर्ट (10 मि.ट. प्रतिवर्ष - 6 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) 30.11.2005 को पीआईबी द्वारा अनुमोदित की गई। अब सीआईएल स्तर पर अनुमोदित किया जाना है।
14	पिपरवार ओपनकास्ट, सीसीएल	6.5	10	3.5	21.87	विस्तार परियोजना रिपोर्ट (10 मि.ट. प्रतिवर्ष - 3.50 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।
15	जयंत ओपनकास्ट, एनसीएल	10	12	2.0	-	विस्तार परियोजना रिपोर्ट (12 मि.ट. प्रतिवर्ष - 2 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) क्षमता प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है। एनसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित 1060.03 करोड़ रू. के वृद्धिक निवेश से 15 मि.ट. प्रति वर्ष (वृद्धिक 5 मि.ट. प्रतिवर्ष) क्षमता के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट, वनभूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अब सीआईएल स्तर पर अनुमोदित की जानी है।
16	दुधीचुआ ओपनकास्ट, एनसीएल	10	12	2.0	-	विस्तार परियोजना रिपोर्ट (12 मि.ट. प्रतिवर्ष - 2 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	टिप्पणी
						326.75 करोड रू. की वृद्धिक निवेश से 15 मि.ट. प्रतिवर्ष (5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट जुलाई, 08 में एनसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई। सीबीए अधिनियम की धारा 4 के तहत 207 हे. वन भूमि अधिसूचित की गई।

3.6 कोल विदेश

1. नीतिगत भागीदार (रों) के चयन के लिए पहल

(क) वैश्विक रूचि की अभिव्यक्ति की स्थिति

आस्ट्रेलिया, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और इन्डोनेशिया में नीतिगत भागीदार (रों) का चयन करने के लिए सीआईएल द्वारा निम्नलिखित तीन व्यापार संरचना के अंतर्गत आमंत्रित वैश्विक रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के विरूद्ध चरण- I में चुनी गई (12) फर्मों ने अधिकार प्राप्त बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष बैठक एवं प्रस्तुतीकरण का कार्य संपन्न किया।

(क) मौजूदा आयात मूल्य पर दीर्घावधि उठान के साथ सीआईएल द्वारा इक्विटी निवेश (माडल- I)।

(ख) उत्पादन में वृद्वि करने के लिए सीआईएल से ऋण द्वारा वित्तीय सहायता (यदि आवश्यक हो) के साथ विद्यमान आयात मूल्य से कम कीमत पर लागत जमा आधार पर केवल दीर्घावधि उठान ठेका (माडल- II)।

(ग) किसी लक्षित देश में कोयला परिसम्पत्तियों के अन्वेषण, विकास तथा प्रचालन के लिए जेवी का गठन (माडल- III)।

- ईओआई प्रक्रिया के संबंध में भावी कार्रवाई निर्धारित करने के लिए अधिकार प्राप्त बोर्ड स्तरीय समिति की सिफारिशें सीआईएल बोर्ड के सम्मुख रखी गई;

- बोर्ड के निर्देशानुसार चयनित देशों नामतः आस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया और यूएसए में पैनलबद्ध तकनीकी परामर्शदाता तथा मर्चेंट बैंकर के सहयोग से अभिज्ञात 5 प्रस्तावों का कोल इंडिया की तीन अलग-अलग टीमों द्वारा तकनीकी अपेक्षित कार्यकुशलता की जांच की गई।

- इंडोनेशिया, यूएसए और आस्ट्रेलिया में अभिज्ञात कोयला परिसम्पत्तियों की तकनीकी परामर्शदाता तथा मर्चेंट बैंकर्स के सहयोग से प्रारंभिक अपेक्षित कार्यकुशलता की जांच करने के परिणामस्वरूप चयनित कंपनियों को अबाध्यकारी सांकेतिक पेशकश भेजी गई हैं।

- मेसी एनर्जी कंपनी, यूएसए के सहयोग से प्राप्त अनुवर्ती सूचना तथा हमारे वित्त सलाहकार के साथ विचार-विमर्श के आधार पर परिसंपत्ति मूल्यांकन प्रस्ताव का पुनर्मूमूल्यांकन किया गया और एक संशोधित शर्तीय पूर्वगत प्रस्ताव भेजा गया बशर्ते कि उसकी आगे अपेक्षित कार्य कुशलता की सम्पुष्टि की जायेगी। सीआईएल के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए टैक्स एंड अकांउटिंग तथा यूएस लीगल काउन्सल की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। हमारे वित्त, टैक्स एवं अकाउन्टिंग और लीगल परामर्शदाता के साथ सीआईएल से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल यूएसए की यात्रा करने वाला है जो सौदा प्रक्रिया के लिए आगे कदम उठाने पर विचार विमर्श करेगा।

- जहां तक इण्डोनेशिया से सिनारमास प्रस्ताव का संबंध है, कंपनी ने सौदा प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए एक बैंकर की नियुक्ति किए जाने के संबंध में सूचित किया है। आस्ट्रेलियाई कोल परिसम्पत्ति के लिए पीबॉडी एनर्जी के साथ आगे विचार विमर्श का कार्य प्रगति पर है।

(ख) माडल- II के अंतर्गत दीर्घकालीन कोयला उठान (सीएलटीओ) के लिए संविदा

- माडल- II के अंतर्गत सीआईएल द्वारा प्रस्तावित दीर्घकालीन कोयला उठान की केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समीक्षा की गई थी। यह सलाह दी गई थी कि विशेषकर दीर्घकालीन उठान ठेकों के लिए नयी रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की जाएं जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि यह उन पक्षों के लिए जरूरी नही है जो सामरिक साझेदारी के लिए आमंत्रित पूर्व रूचि की अभिव्यक्तियों के आधार पर माडल- II के लिये पहले ही सूचीबद्ध किए जा चुके थे।

- अगस्त, 2010 में एक वैश्विक रूचि की अभिव्यक्ति दो चरण में (I) चरण-I केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सहमत पात्रता मापदंडों के अनुसार दीर्घकालीन उठान कंपनियों को सूची बद्ध करने के लिए अर्हता आवेदन (आरएफक्यू) आमंत्रित करना (ii) चरण-I प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी), में आमंत्रित की गई थी, पार्टियों को सूचीबद्ध किया जा चुका है अर्थात चरण-I का कार्य पूरा हो गया है। सूचीबद्ध फर्मो को आरएफपी जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

2. अंर्तराष्ट्रीय कोयला उद्यम लिमिटेड (आईसीवीएल)

कोल विदेश डिविजन ज्वांइट वर्किंग ग्रुप में भी भाग ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम लिमिटेड (आईसीवीएल) जो विदेशों में बड़े थर्मल एवं कोकिंग कोल भंडारों के अधिग्रहण में दिलचस्पी ले रहे एसएआईएल, सीआईएल, आरआईएनएल, एनएमडीसी और एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी है। आईसीवीएल आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी कोकिंग कोल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर आगे बढ़ रही है।

3.7 मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण

कोल इंडिया लिमिटेड को टेटे प्रांत के माटिज जिले में लगभग 224 वर्ग किमी. के क्षेत्र में दो कोयला ब्लाक ए-1 तथ ए-2 के लिए अन्वेषण लाइसेंस आबंटित किया गया था। कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) को अगस्त 2009 में सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया गया है। सीआईएल यथाशीघ्र आंबटित कोयला ब्लॉकों की अन्वेषण अध्ययन आरंभ करेगी।

3.8 विदेश में निवेश करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय कोल वेन्चर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) की स्थापना करने के लिए कोल इंडिया लि. के प्रस्तावों पर विचार करने तथा सिफारिश करने के प्रादेश के साथ सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन।

विदेशों से धातुकर्मीय और थर्मल कोल परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी) और नेशनल थर्मल पॉवर कारर्पोरेशन (एनटीपीसी) जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) को मिलाकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात इन्टरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) नामक स्पेशल पर्पज व्हीहल (एसपीवी) का

20 मई, 2009 को गठन किया है। आईसीवीएल की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी 3500 करोड़ रूपये होगी जिसमें एसएआईएल और सीआईएल प्रत्येक का अंशदान 1000 करोड़ रूपये तथा आरआईएनएल, एनएमडीसी तथा एनटीपीसी प्रत्येक का अंशदान 500 करोड़ रूपये होगा। ये सब भागीदार कंपनियां हैं।

अपना अनुमोदन देते हुए, भारत सरकार ने प्रत्येक मामले में 1500 करोड़ रूपये से अधिक धातुकर्मीय और थर्मल कोल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए एसपीवी के विदेशी निवेश को अनुमोदन प्रदान करने के लिए इस्पात, खान, विद्युत, वित्त, कोयला, विदेश, निधि और न्याय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिवों की एक समिति का गठन किया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामले में इस समिति की सिफारिश को सीधे मंत्रिमंडल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

3.9 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के उपाय

बीसीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरूद्धार योजना को बीआईएफआर ने 28.10.2009 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृति योजना में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है। बीसीसीएल, सीआईएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा योजना की सारी लागत (1350 करोड़ रूपये) ऋण के रूप में सीआईएल से ली जाएगी।

बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज की एक प्रति सीआईएल / बीसीसीएल को फरवरी, 2010 में इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार पैकेज को कार्यान्वित किया जाए।

3.10 केप्टिव खनन

- लोहा और इस्पात के निर्माताओं, विद्युत उत्पादन, खानों से प्राप्त कोयले की धुलाई समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1973 को समय-समय पर संशोधित किया गया।

- तत्पश्चात, सीमेंट उत्पादन के लिए कोयले के गृहीत खनन हेतु भी सरकार द्वारा दिनांक 15.3.1996 की अधिसूचना के तहत अनुमति दे दी गई है तथा कोयला गैसीकरण (भूमिगत और सतह) के द्वारा प्राप्त सिन-गैस के उत्पादन तथा कोयला द्रवीकरण को भी

दिनांक 12.7.2007 की अधिसूचना के द्वारा अन्त्य उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया गया।

- इसके अलावा, राज्य सरकार की कम्पनियों अथवा उपक्रमों को 12 दिसम्बर, 2001 की संशोधित कोयला खनन नीति, 1979 (नई राज्य कोयला खनन नीति, 2001) की कतिपय शर्तों के अधीन देश में कहीं भी या तो ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धति से कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला भंडारों का कैप्टिव खनन करने की अनुमति दी जाती है।
- उपर्युक्त ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया गया जिसके तहत कोयला मंत्रालय में एक" जांच समिति" का गठन किया गया।
- जांच समिति की अध्यक्षता सचिव(कोयला) करते हैं । यह एक अन्तर-मंत्रालयी और अन्तर-सरकारी प्रकृति का निकाय है ।
- इस समिति में संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।
- यह कैप्टिव खनन हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए पात्र कंपनियों का चयन करती है।
- यह चर्चा और विचार-विमर्श की प्रक्रिया अपनाती है तथा आवेदकों के गुण-अवगुण के आधार पर आवंटन का निर्णय लेती है।

1. आज की तारीख के अनुसार लगभग 50 बि.ट. के भू-गर्भीय भण्डार वाले 208 कोयला ब्लॉकों का आवंटन सरकारी / निजी कंपनियों को किया गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दी गई है:-

क्र. सं.	क्षेत्र	सरकारी कंपनियों को		निजी कंपनियों को		यूएमपीपी / शुल्क आधारित बोली		कुल ब्लॉक	जीआर (मि.ट. में)
		ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मि.ट. में)	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मि.ट. में)	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मि.ट. में)		
1.	विद्युत	53	18921.02	28	5010.38	12	4846.26	93	28777.66
2.	वाणिज्यिक खनन	39	7312.86	-	-	-	-	39	7312.86
3.	लौह एवं इस्पात	4	1708.06	61	8602.55	-	-	65	10310.61
4.	सीमेन्ट	-	-	6	628.74	-	-	6	628.74
5.	लद्यु एवं अलग	-	-	3	27.34	-	-	3	27.34

6.	सीटीएल	-	-	2	3000.00	-	-	2	3000.00
कुल		**96**	**27941.94**	**100**	**17269.01**	**12**	**4846.26**	**208**	**50057.21**

2. आज की तारीख के अनुसार, उत्पादन 26 कोयला ब्लॉकों (14 निजी और 12 सार्वजनिक) में शुरू हुआ है और वर्ष 2009-10 के लिए इन कोयला ब्लॉकों से उत्पादन 35.31 मि.ट. थी और वर्ष 2010-11 (नवम्बर, 2010 तक अनंतिम) के लिए कोल नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 23.90 मि.ट. थी।
3. पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 जो कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली को शुरू करने के संबंध में हैं, संसद के दोनों सदनों से पारित किया जा चुका है और भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति 8 सितम्बर, 2010 को प्राप्त कर ली गई है और भारत के राजपत्र (असाधारण) में 9 सितम्बर, 2010 को इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम में उन शर्तों जिसका निर्धारण किया जाए, पर प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला और लिग्नाइट-धारी क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण अनुमति, पुर्वेक्षण लाईसेंस अथवा खनन पट्टा की अनुमति देने की मांग है। हांलाकि यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगाः-

- जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसी अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।
- जहां किसी कंपनी अथवा निगम जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) दी गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

सरकार कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की प्रतिस्पर्धी बोली आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देशों / कानूनी ढांचों को बनाने के लिए तौर तरीकों की अब जांच कर रही है।

4. तीन कोयला ब्लॉकों का आवंटन उचित प्रक्रिया के बाद इस अवधि के दौरान रद्द कर दिया गया है।
5. इस अवधि के दौरान अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में समीक्षा समिति की बैठक कोयला ब्लॉक के आवंटियों के साथ कोयला ब्लॉकों के विकास के साथ-साथ उनके एसोसिएटिड अन्त्य उपयोग परियोजनाओं के विकास की समीक्षा करने के लिए 20 और 21 जुलाई, 2010 को आयोजित की गई थी। यह नोट किया गया था कि 45 सरकारी कंपनियों और 48 निजी कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों के मामले में प्रगति उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में संतोषजनक से कम रहा और आवंटी

उन ब्लॉकों के विकास में विलंब का कारण बताने में सक्षम नहीं थे। इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस / सलाह जारी किए गए हैं।

3.11 पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के उपाय :

पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईएमपी)/ पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) की मंजूरी मिलने के बाद ही कोयला खनन परियोजना अनुमोदित की जाती है। ईएमपी में यथानिर्धारित पर्यावरणीय प्रशमन उपाय खनन क्रियाकलाप के दौरान और उसके पूरा होने के बाद एक नियमित कार्यकलाप है। पर्यावरणीय और वन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन को भी मानीटर किया जाता है।

खनन परियोजना में खानों में तथा उसके आसपास बड़े पैमाने पर पौधा-रोपण, आबोहवा तथा जल की गुणवत्ता, भूमि का पुनरूद्धार, खानों से निकलने वाले अपशिष्ट का शोधन, कार्यशालाओं, कोयला रखरखाव संयंत्रों, वाशरियों आदि नियमित कार्यकलाप हैं। इसके अलावा, कोल इंडिया लि. ने दूर-संवेदी सतर्कता निगरानी तकनीकियों के जरिए वनरोपण, भूमि पुनरूद्धार तथा खान को बंद करने के क्रियाकलापों की निगरानी शुरू कर दी है।

कार्यबल तथा विभिन्न स्टेकधारकों को शिक्षित करने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम, विश्व पर्यावरणीय दिवस/पर्यावरणीय संरक्षण सप्ताह नियमित रूप से मनाए जाते हैं।

झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों में आग और घंसावः

बीसीसीएल को पूर्व निजी मालिकों से राष्ट्रीयकरण के समय 70 आग वाली खान विरासत में मिली थी और तब से बीसीसीएल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत इन आगों पर नियंत्रण पाने और अन्य प्रकार से संगठित प्रयास किए गए थे। अपने अग्निशमन प्रयासों के भाग के रूप में, बीसीसीएल द्वारा 1976 से 1988 के दौरान 22 आग परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था। सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, जैसे सतह बन्द करना, खुदाई करना, ट्रेनचिंग, निष्क्रिय गैस को अन्दर डालना और दूर से सेन्ड / बेन्टनाईट मिश्रित फ्लशिंग आदि को लागू कर इन आग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रयास किए गए। इसके अलावा रेलवे लाईनों जोरों और अन्य क्षेत्रों जहां पहुंचा जा सकता था, को बचाने के लिए स्थिरीकरण कार्य किया गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिली :-

- 10 आगों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया।
- कुल बर्बादी से अधिकतर आग को नियंत्रित करना।
- प्रभावित सतही क्षेत्र 17.32 वर्ग कि.मी. से घटकर 8.90 वर्ग कि.मी. हो गया।
- बन्द कोयला भंडार 1864 मि.ट. से घटकर 1453 मि.ट. हो गया।

रानीगंज कोलफील्ड्स में 19वीं शताब्दी में उथली गहराई में मोटी सीमों में पाए जाने वाले अच्छी गुणत्ता वाले नान-कोकिंग कोयले का मनमाने ढंग से खनन किया गया। खानों के प्रवेशों के निकट छोटे क्षेत्रों का हाथ से खनन किया गया और पिल्लरों को अविवेकपूर्ण रूप से छोटा कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर खदानें धंस गई जिसके कारण धंसाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इसके फलस्वरूप, लगभग 8 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले अनेक आबादी वाले इलाकों में धंसाव का खतरा है। आबादी वाले क्षेत्रों के नीचे पड़ी पुरानी परित्यक्त खानें अधिकांश पानी से भरी हैं और पहुंच योग्य नहीं है। चालू परियोजनाओं सहित कुल 139 स्थलों को पुनर्वासित किए जाने का प्रस्ताव है। 7 आग वाले स्थान भी हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है।

मास्टर प्लान का अनुमोदन :

- अधिकांश जोखिम वाले क्षेत्रों से आग, धंसाव और लोगों के पुनर्वास तथा सतही अवसंरचना के डायवर्जन के संबंध में झरिया कोलफील्डों के लिए मास्टर प्लान (मार्च 2008) में अगस्त, 2009 में अनुमोदित की गई थी जिसमें ईएमएससी स्कीम के रूप में आरंभ की गई बीसीसीएल की आग नियंत्रण और पुनर्वास स्कीम के लिए निर्धारित 83.71 करोड़ रू. सहित 7112.11 करोड़ रू. के अनुमानित निवेश की परिकल्पना की गई है।
- इसी प्रकार, आग, धंसाव एवं अस्थिर स्थलों से लोगों के पुनर्वास से सम्बन्धित रानीगंज कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान (अप्रैल,2008) अगस्त, 2009 में अनुमोदित की गई और सतही अवसंरचना के डायवर्जन में ईएमएससी स्कीम के रूप में आरम्भ की जा रही ईसीएल की पुनर्वास निदर्शन योजना के लिए निर्दिष्ट 32.52 करोड़ रू. सहित 2661.73 करोड़ रू. के अनुमानित निवेश की परिकल्पना की गयी है।

  दोनों मास्टर प्लान बीसीसीएल, ईसीएल के सीधे सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन है और इनकी नियमित रूप से सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में उच्च अधिकार

प्राप्त केन्द्रीय समिति द्वारा मानीटर किया जाता है। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की समय-समय पर कोयला मंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है।

निदर्शन स्कीम

- बीसीसीएल के अत्यन्त खतरनाक क्षेत्रों से 4600 मकानों (3100 गैर-बीसीसीएल अनाधिकृत और 1500 बीसीसीएल) के स्थानांतरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक निदर्शन स्कीम अनुमोदित की गयी थी और कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया गया था। स्कीम को फरवरी 2003 (61.09 करोड. रू.) में संशोधित किया गया था। स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

  गैर-बीसीसीएल मकानों के पुनर्वास को कार्यान्वित करने के लिए, झारखण्ड राज्य सरकार ने यह कार्य झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) को सौंपा है।

- प. बंगाल सरकार ने, अस्थिर अधिनियम 1979 के अनुसार अस्थिर क्षेत्रों के रूप में 4 पुनर्वास स्थलों / क्षेत्रों (निदर्शन) अर्थात सामडीह, हरीशपुर, बंगालपारा रिफ्युजी कालोनी एवं केन्दा गांव को अधिसूचित किया है। आसनलोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) को 5.50 करोड़ रू. का तदर्थ अग्रिम भुगतान किया गया है। अक्तूबर, 2010 तक किया गया व्यय 44.46 लाख रू. है।

  गैर-ईसीएल मकानों के पुनर्वास को कार्यान्वित करने के लिए प. बंगाल राज्य सरकार ने यह कार्य पहले ही आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) को सौंपा है।

बोंजेमारी स्थल पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एडीडीए द्वारा प्रगति पर है।

- मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** के रूप संलग्न है।

3.12 कर्मचारियों के कल्याणार्थ उपाय :

कल्याणकारी उपाय	राष्ट्रीयकरण के समय	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार	31.11.2010 की स्थिति के अनुसार
उपलब्ध मकानों की सं.	1, 18,366	4, 13,308	4, 21,557	4, 19,102
आवासीय संतोषप्रदत्ता (%)	21.07%	100%	100%	100%
जलापूर्ति योजना के तहत शामिल जनसंख्या	2, 27,300	22, 94,043	22, 94,968	22, 94,973
अस्पताल (सं.)	49	85	85	86
डिस्पेन्सरी (सं.)	197	424	424	423
एम्बूलेंस (सं.)	42	668	667	640
अस्पताल में बिस्तर	1482	5835	5835	5835
शैक्षिक संस्थाएं जिन्हें अनुदान-सहायता/ अवसंरचनात्मक/समय-समय पर सहायता प्रदान की गई है	287	665	590	623
कैन्टीन (सं.)	210	481	481	481
सहकारी समितियां (सं.)	177	333	333	333

सीआईएल की एक सुपरिभाषित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति (आर एंड आर पालिसी-2008) है जिसमें भू-वंचितों द्वारा पात्रता को पूरा करने की शर्त पर तथा संबंधित सहायक कंपनी के निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन की शर्त पर रिक्तियों को भरने हेतु अपवादस्वरूप परिस्थितियों में अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले में रोजगार के प्रावधान की व्यवस्था है।

3.13 विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों के रूप में कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण की अधिसूचना

संभावित उद्यमियों को ब्लाकों के आबंटन हेतु केप्टिव खनन नीति के तहत भारत सरकार ने कोयला गैसीकरण (सतही तथा भूमिगत) को एक अन्त्य उपयोग के रूप में अधिसूचित किया है। कोल इंडिया लि. / नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि. द्वारा भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के आवंटन के लिए पेशकश के वास्ते सूचीबद्ध अनंतिम रूप से ब्लॉकों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। नए ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में यह उल्लेखनीय

है कि पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 जो कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली को शुरू करने के संबंध में, संसद के दोनों सदनों से पारित किया जा चुका है और भारत के राजपत्र (असाधारण) में 9 सितम्बर, 2010 को इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम में उन शर्तों जिसका निर्धारण किया जाए, पर प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला और लिग्नाइट-धारी क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण अनुमति, पुर्वेक्षण लाईसेंस अथवा खनन पट्टा की अनुमति देने की मांग है। हांलाकि यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगाः-

- ❖ जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसी अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।
- ❖ जहां किसी कंपनी अथवा निगम जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) दी गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

सरकार कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की प्रतिस्पर्धी बोली आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देशों / कानूनी ढांचों को बनाने के लिए तौर तरीकों की अब जांच कर रही है।

3.14 नवरत्न दर्जे की घोषणा

सीआईएल को नवरत्न दर्जा

सीआईएल को नवरत्न का दर्जा अक्तूबर, 2008 में प्रदान करते समय सरकार ने इस कंपनी को 3 वर्षों की अवधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने का निदेश दिया और इसलिए भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए सीआईएल में अपनी होल्डिंग का 10% विनिवेश किया। सीआईएल को नवम्बर, 2010 में स्टॉक मार्केट में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया गया है।

3.15 कोयला क्षेत्र के लिए विनियामक

प्रारूप विनियामक विधेयक सभी मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त होने और सुझावों के प्रारूप विधेयक में शामिल किए जाने के लिए उनकी उपयुक्तता की जांच की जा रही है।

3.16 कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों में संशोधन

कोयला और लिग्नाइट की रायल्टी दर में संशोधन के लिए 04.02.2010 को एक नया अध्ययन समूह गठित किया गया है। सभी स्टेक होल्डरों से परामर्श करने के लिए, उस विषय पर निर्धारित प्रश्नावलियां तैयार की गईं हैं और उन्हें प्रमुख कोयला उत्पादकों / उपभोक्ताओं और कोयला धारी राज्य सरकारों को उनके दृष्टिकोण / टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई हैं। विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच मंत्रालय में की जा रही है।

अनुबन्ध
(अध्याय III-पैरा 3.11)

बीसीसीएल की झरिया कोलफील्ड की स्थिति (31.12.2010 तक)

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
(क)	**वर्तमान स्थिति**	• झरिया कोलफील्ड्स के लिए मास्टर प्लान **(मार्च, 2008)** का अनुमोदन अगस्त, 2009 में **7112.11 करोड़ रू.** के अनुमानित निवेश से किया गया था। राज्य मंत्रिमंडल, झारखंड सरकार ने कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आर एंड आर पैकेज के लिए 25.06.2008 को अपना अनुमोदन दे दिया। • एचपीसीसी की पहली बैठक सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 10 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई। • अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में एक विचार-विमर्श बैठक 17.12.2009 को सीआईएल के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। • एचपीसीसी की दूसरी बैठक 05.03.2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। • उच्च अधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति की तीसरी बैठक झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 18.11.2010 को आयोजित की गई। • कोयला मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा 19.11.2010 को की गई।
(ख)	कार्यान्वयन पूर्व क्रियाकलाप	1. आग से निपटना; (क) आग वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए एनआरएसए (रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद) द्वारा थर्मल इन्फ्रारेड सर्वेक्षण

		(टीआईआर) तथा अन्य सर्वेक्षण। (ख) आग से निपटने के लिए चरण-1 (पहला और दूसरा वर्ष) के लिए स्कीमों की तैयारी / कार्यान्वयन (पूंजी 3.77 करोड़ रू.) 2. पुनर्वासन परियोजनाओं के लिए जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण (प्रथम चरण) (पूंजी 1.24 करोड़ रू.) 3. बीसीसीएल और गैर बीसीसीएल आवासों के लिए चरण-1 के वास्ते भूमि का अर्जन (पूंजी 69.42 करोड़ रू.) 4. भूमि के अर्जन के लिए चरण-1 (पहला और दूसरा चरणऋ के अंतर्गत आकस्मिक निधि (3%) और सर्वेक्षण (5%) (पूंजी 5.46 करोड़ रू.)
	आग से निपटना (क) आग वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए एनआरएसए (रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद) द्वारा थर्मल इन्फ्रारेड सर्वेक्षण (टीआईआर) तथा अन्य सर्वेक्षण। (ख) आग से निपटने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा की जाने वाली स्कीमों की तैयारी। (ग) सीआईएमएफआर द्वारा जीआईएस मैपिंग।	(क) मोटे रिजोल्यूशन के लिए टीआईआर सर्वेक्षण दिसम्बर 2006 में पूरा किया गया। मास्टर प्लान के अनुमोदन के बाद 2 वर्षों के भीतर किया जाने वाला सूक्ष्म रिजोल्यूशन सर्वेक्षण। (ख) सीएमपीडीआई द्वारा कुल 45 आग योजनाएं तैयार की जानी है। सीएमपीडीआई द्वारा छः (6) आग योजनाएं तैयार की गई है और बीसीसीएल द्वारा अनुमोदित की गई। दिसम्बर, 2010 तक (क) और (ख) पर 11.10 लाख रू. का कुल व्यय हो चुका है। (ग) दिसम्बर, 2010 तक 5.03 लाख रू. का कुल व्यय हो चुका है।
	पुनर्वास परियोजनाएं: गैर- बीसीसीएल मकानों के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, मूल्यांकन सर्वेक्षण और अन्य सर्वेक्षण।	सीआईएल ने जेआरडीए / राज्य सरकार को अग्रिम के रूप में 15.02.2007 को बीसीसीएल को 65 लाख रू. जारी किया। जेआरडीए द्वारा सीआईएमएफआर और आईएसएम को कार्य अवार्ड किया गया है। दिसम्बर,

		2010 तक किया गया व्यय 47.457 लाख रू. था।
	चरण-I में गैर- बीसीसीएल मकानों के लिए **भूमि अधिग्रहण** और बीसीसीएल मकानों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करना एवं 48.53 एकड़ सरकारी जमीन का भू-अर्जन।	सीआईएल ने बीसीसीएल को भूमि अधिग्रहण के लिए 54.865 करोड़ रू. रिलीज किया जिसमें से निप्पनियां और स्वायगढ़ मौजा में 145 हे. भूमि का अधिग्रहण करने के लिए और 48.53 एकड़ सरकारी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए 10.12 करोड़ रू. का उपयोग किया गया। जेआरडीए को मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रथम चरण के लिए 638.73 हे. भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 44.745 करोड़ रू. प्राप्त हुआ है।
ग	**आग संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन**	1. **कुंजामा कोलियरी, बस्ताकोला क्षेत्र में चटकारी जोर का डायवर्जनः** (6.88 करोड़ रू.) (क) जोर डायवर्जन के लिए की जाने वाली कटाई की कु मात्रा 1.05 लाख घनमीटर (ख) आज की तारीख तक कटाई की गई कुल मात्रा 0.753 लाख घन मीटर (ग) चटकारी जोर के डायवर्जन के मार्ग में संशोधन किया गया। (घ) बीसीसीएल बोर्ड की 3.01.2009 को आयोजित इसकी 262वीं बैठक में अनुमोदन लेने के बाद निविदा की गई। (ड़)पूर्ण बोरहोलों की संख्या- 16(975 मि.ट. में से 400) और की गई अतिरिक्त ड्रिलिंग - 10 सं. (च) किया गया स्टोईंग - 26576 घनमीटर में से 3376 (छ) 2.10 करोड़ रू. का कार्य आदेश 1.09.2009 को जारी किया गया है। (ज) दिसम्बर 2010 तक किया गया व्ययः 1.79 करोड़ रू. **2. सुदामडीह- पाथरडीह कोलियरी, ईजे क्षेत्र में पाथरडीह लिंक रेलवे लाइन की सुरक्षाः** (25.04 करोड़ रू.) (क) किए गए फिलिंग और ब्लैंकेटिग की कुल मात्राः 10.06 घनमीटर 17.427 लाख घनमीटर में से (अतिरिक्त बोझ और अधिकतर दहन नहीं किए जाने वाले सामग्री पास के कार्यरत खान से उपलब्ध कराया गया।

		(ख) सुरक्षा के लिए पाथरडीह- भोजूडीह लिंक लाइन पर किया गया 2 बोरहोल। (ग) स्थिरीकरण के लिए की जाने वाली पम्पिंग के लिए ड्रिलिंग-750 मीटर (घ) आद्रा-गोमो लाइन में पूरे किए गए बोरहोलों लों की संख्या 500 मीटर में से 21 सं. (ड़) भरा गया रेत- 99114 घनमीटर में से 3000 घनमीटर। (च) दिसम्बर 2010 तक किया गया व्ययः 0.377 करोड़ रू.। **3. ईस्ट वसूरिया कोलियरी, कुसुण्डा क्षेत्र में के टी लाइन की सुरक्षाः** (8.513 करोड़ रू.) (क) एक डीजल पम्प और 600 मीटर एमएस पाइप की खरीद की गई। (ख) आज की तारीख तक की गई खदान के किनारों की फिलिंग और ब्लैंकेटिंग की कुल मात्रा- 542163 घनमीटर में से 15492 घनमीटर। (ग) की जाने वाली मिट्टी सीलिंग - 204050 घनमीटर। (घ) किए गए बोरहोलों की संख्या- 39 (1475 मीटर) में से 8(315 मीटर) और गैलरियों में 4 बोरहोल जोड़े गए। (ड़) की जाने वाली रेत भराई - 53380 घनमीटर। (च) दिसम्बर 2010 तक किया गया व्यय**:** 0.524 करोड़ रू. (एफआरपी लागत 0.26 करोड़ रू. सहित) **4. सेन्द्रा बंसजोरा कोलियरी , सिजुआ में गोपाल गरेरिया सब स्टेशन में X सीम में आग से निपटनाः** (9.91 करोड़ रू.) (क) पूर्ण बोरवेलों की संख्या 2875 मीटर में से 81(1943.52 मीटर) (ख) आज की तारीख तक पूर्ण फ्लाई एश / बेन्टोनाइट का इंजेक्शनः 10215 घनमीटर में से 136.55 घनमीटर। (ग) किया गया ओबी रिमूवल- 1.20 मि. घन मी. में से 0.680 मि.घ. मी.।

		(घ) की गई फिलिंग - 0.17 मि. घन मी. में से 0.0662 मि. घन मी.। (पूरा कर लिया गया) (ड़) दिसम्बर 2010 तक किया गया व्यय 4.18 करोड.रू. (एफआरपी लागत 25.97 लाख रू. सहित) **5. न्यू आकाश किनारी (पूर्व में ईस्ट कतरास कोलियरी) XI, XIII और XIV, गोविन्दपुर क्षेत्र में आग से निपटनाः** (पूंजीः 30.91 करोड़ रू.) सीएमपीडीआईएल द्वारा योजना संशोधित की गई है और 29.3.2008 को बीसीसीएल की 258वीं बोर्ड में अनुमोदित किया गया। इस योजना के अंतर्गत 11 सीम (2.8 एमएम3) में खुदाई और भराई (0.65 एमएम3) के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करने की प्रक्रिया चल रही है। दिसम्बर 2010 तक किया गया व्ययः 0.31 करोड़ रू. **6. गोधुर कोलियरी में VII सीम आग से निपटने की योजनाः** (पूंजी 12.12 करोड़ रू.) : इस योजना के अनुमोदन जिसकी प्रक्रिया चल रही है, के बाद निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाएंगें। (क) की जाने वाली खुदाई-1.4 मि.घन मीटर (ख) की जाने वाली ब्लेंकेटिंग -037 मि. घन मीटर (ग) की जाने वाली एन2 फोम फ्लशिंग-6000 ली. (घ) दिसम्बर 2010 तक किया गया व्ययः 0.2287 करोड़ रू. (एफआरपी लागत)

घ	**ईएमएससी योजनाएं**	**1. राजापुर (ईएमएससी-21):** (पूंजी 471.87 लाख रू.) (क) पूर्ण बोरहोलों की संख्या-179 में से 113 (ख) की गई रेतभराई-109 बोरहोलों में 77000 घनमीटर में से 29971 घनमीटर (ग) संयुक्त सीम सतह तक की गई फिलिंग और ब्लैंकेटिंग- 510557 घन मीटर (घ) किया गया मिट्टी ढुलाई - 0.95 लाख घन मीटर में से 20709 घनमीटर (ड़) दिसम्बर 2010 तक संचयी व्ययः 341.011 लाख रू.। **2. 125 हेक्टेयर में खराब भूमि का पुनरूद्धार (ईएमएससी-34), (पूंजीः 66.25 लाख रू.)** (क) डीएफओ धनबाद के माध्यम से कार्य प्रगति पर है। (ख) 80 हेक्टेयर में पौधारोपण किया गया। (ग) गैर- कोयलाधारी भूमि की अनुपलब्धता के कारण शेष कार्य प्रभावित है। संचयी। (घ) दिसम्बर 2010 तक संचयी व्ययः 40.58 लाख रू.। **3. बीसीसीएल के सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्रों से व्यक्तियों का स्थानान्तरण (ईएमएससी-24),** (पूंजी 6109 लाख रू.) यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। बीसीसीएल को आज तक 41.42 करोड़ रू. प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त के अलावा 2 ईएमसी योजनाएं नामतः अलकूसा (ईएमएससी-22) और उद्योग (ईएमएससी-23) पहले ही पूरी की जा

		चुकी है। इन परियोजनाओं के लिए किया गया व्यय क्रमशः 255.096 लाख रू. और 72.349 लाख रू. हैं।
ड.	**आरसीएफएस योजनाएं**	**1. लोदना और बागडिग्गी कोलियरी, (आरसीएफएस-01) लोदना क्षेत्र में घनबाद-पाथरडीह रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए आग और धंसाव के नियंत्रण की योजना।** (मास्टर प्लान के अनुसार प्रावधान-पूंजी 290.00 लाख रू. और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पूंजी-292.10 लाख रू.) (क) सीएमपीडीआईएल द्वारा पीआर संशोधित की गई है। (ख) पी एंड एम मदों अर्थात मोबाइल नाइट्रोजन प्लान्ट और फोम जेनरेटर की खरीद के लिए मांग पत्र प्रक्रियाधीन हैं। किया जानेवाला नाइट्रोजन इन्फ्यूजन-63072 ली. (ग) दिसम्बर 2010 तक संचयी व्ययः 2.28 लाख रू.। (मूल योजना के अंतर्गत डीजल पम्प खरीदने के लिए) **2. ब्लाक-II ओसीपी और फुलारीटांड (आरसीएफएस-02), ब्लाक- II क्षेत्र / बरोरा क्षेत्र में आद्रा-गोमो रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए आग से निपटने हेतु योजना।** (मास्टर प्लान के अनुसार प्रावधान-पूंजी 258.00 लाख रू. और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पूंजी-578.40 लाख रू.) (क) मूल योजना XI और XII सीमों में आग से निपटने के लिए थी। चूंकि आग XIII सीम तक फैल गई है, इसलिए बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 12.9.2005 को आयोजित इसकी 242वीं बैठक में XIII सीम में आग से निपटने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। (ख) फायर टेंडर और समर्शिबल पम्प को छोड़कर पी एंड एम की खरीद पूरी हो गई है। (ग) पूर्ण हुआ खदान किनारा भराव-750000 घनमीटर में से 680429 घनमीटर। (घ) सतही सीलिंग और वाटर पूल दोनों ओबी फिलिंग के बाद आरंभ किए जांएगे।

		(ड़) आद्रा-गोमो रेलवे लाइन में 39 और फुलारीटांड साइड में 143 ड्रिलिंग-निविदा प्रक्रियाधीन। (च) ब्लाक-II साइड में 25200 घनमीटर की रेत भराई-प्रस्ताव तथा निविदा प्रक्रियाधीन। (छ) फुलारीटांड साइड में 46600 घनमीटर की रेत भराई-प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और निविदा प्रक्रियाधीन है। (ज) दिसम्बर 2010 तक संचयी व्यय : 233.310 लाख रू **3. जीनागोरा बरारी कोलियरी (आरसीएफएस-03) के जटकारी जोर, लोदना क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आग से निपटने हेतु योजना।** (मास्टर प्लान के अनुसार प्रावधान-पूंजी 340.00 लाख रू. और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पूंजी-769.82 लाख रू.) (क) पी एंड एम की खरीद पूरी कर ली गई है। (ख) की गई ड्रिलिंग-XI/XII,XIII सीम में 2915 मीटर में से 149.5 मीटर। (ग) आज की तारीख तक की गई रेत भराई-21000 घनमीटर में से केवल 11 घन मीटर (घ) की गई मिट्टी भराई / मिट्टी कटाई और कठोर मिट्टी / पत्थर की पिचिंग-69913 घनमीटर में से 12579 घनमीटर। (ड़) की गई मिट्टी भराई-74000 घनमीटर में से विभागीय रूप से 21006 घनमीटर (च) भूमि विवाद के कारण डायवर्जन की प्रगति प्रभावित और यह मामला निचली अदालत,घनबाद में निर्णयाधीन हैं। भूमि विवाद के मद्देनजर इस योजना को बन्द करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। (छ) दिसम्बर 2010 तक संचयी व्ययः 244.591 लाख रू. **4. बरारी कोलियरी (आरसीएफएस-04), लोदना क्षेत्र में धनबाद-पाथरडीह रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए आग से निपटने हेतु योजनाः** (कोयला मंत्रालय

		द्वारा अनुमोदित पूंजी-577.27 लाख रू.) (क) रेलवे लाइन को समाप्त करने के कारण बन्द कर दिया गया तथा बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 27.08.2005 को आयोजित बीसीसीएल की 242वीं बैठक के माध्यम से योजना को बन्द किया जाना अनुमोदित किया गया। (ख) दिसम्बर 2010 तक व्ययः 114.344 लाख रू.

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
च	**मकानों का पुनर्वास (इसएमएससी-24):** **(क) बीसीसीएल मकान** 1. परिवारों का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण तथा पहचान आदि 2. पहचान पत्र जारी करना। 3. मकानों का निर्माण	1. चरण-1 के लिए पूर्ण। 2. कर्मचारियों के पास अपने पहचान पत्र हैं। 3. 35.89 करोड़ रू. की स्वीकृत लागत से कुल 1500 मकानों का निर्माण किया जाना है। (क) भूली, भीमकनाली, नीचितपुर और कतरास कोयला डम्प में 3 मंजिलें ब्लॉकों में 344 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया हैं। (ख) 204 लोगों को पहले ही नए मकानों में शिफ्ट कर दिया गया है और स्थलों पर विकास कार्य तथा आगे शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। (ग) बीसीसीएल के कर्मचारियों की शिफ्टिंग के लिए 1152 खनिक क्वार्टरो / आवासों के निर्माण के लिए निविदा को 50.88 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से अंतिम रूप दिया गया है और कुसुण्डा में 444 मकानों, कतरास में 360 मकानों, सिजुआ में 156 मकानों और लोदना क्षेत्र में 192 में मकानों के निर्माण के लिए 22.10.2010 को मैसर्स कमला कन्सट्रक्शन को कार्य दिया गया है। (घ) दिसम्बर 2010 तक 344 मकानों के निर्माण और विकास कार्य के लिए व्ययः 736.00 लाख रू.।

	(ख) गैर-बीसीसीएल मकान 1. राज्य सरकार को मौजा प्लॉट संख्या के साथ हॉट और कोल्ड स्थान आदि की सूची प्रस्तुत करना 2. पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का निर्माण। 3. गैर-बीसीसीएल लोगों के लिए मकानों का निर्माण।	(क) राज्य सरकार ने मास्टर प्लान/ कार्य योजना के तहत गैर-बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) का गठन किया है। 2 एजेंसियों नामतः मेसर्स घेरजी ईस्टर्न लि. और एमएस बरचिल वीडीएम प्रा.लि. ने टाउनशिप योजना का कार्य लेने के लिए जेआरडीए द्वारा निकाले गए निविदा में भाग लिया। मेसर्स घेरजी ईस्टर्न लि. को न्यूनतम बोली लगाने वाले के रूप में कार्य दिया गया था। निविदा समिति द्वारा दरों की जांच की जा रही है और संभवतः उस पर बोर्ड की अगली बैठक जो अभी भी लंबित है, में चर्चा होगी। (ख) कुल 3100 गैर-बीसीसीएल अनाधिकृत मकानों का निर्माण किया जाना है। (ग) बेलगोरिया स्थल पर मै एचएससीएल द्वारा 900 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। (घ) मै. एनबीसीसी द्वारा शेष 1452 मकानों का निर्माण बेलगोरिया स्थल पर पूरा हो गया है। (ड.) 2352 मकानों में से, बेलगोरिया और भूली में मकानों के आवंटन के लिए जेआरडीए द्वारा प्रभावित परिवारों से 902 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बेलगोरिया निदर्शन परियोजना स्थल पर जेआरडीए द्वारा झरिया विहार में कुल 667 मकानों / परिवारों को शिफ्ट किया गया है। (च) भूमि विवाद/स्थानीय लोगों के साथ समस्या के कारण शेष 748 मकानों का निर्माण आरंभ नही किया जा सका। (छ) शिफ्टिंग भत्ता के रूप में 409 परिवारों (अतिक्रमण करने वाले) में प्रत्येक को 10,000/- रू. दिया गया है। (ज) 316 परिवारों (अतिक्रमण करने वाले) में प्रत्येक परिवार को 13,875/- रू. की 125 दिनों की न्यूनतम मजदूरी (अर्थात सिर्फ 6 महीने

		की अवधि के लिए लागू) का भुगतान किया गया है। (झ) दिसम्बर 2010 तक व्ययः 2519.00 लाख रू.

ईसीएल की रानीगंज कोलफील्ड की स्थितिः (31.10.2010 तक)

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
क	वर्तमान स्थिति	• सरकार द्वारा 2661.73 करोड़ रू. की अनुमानित निवेश से अगस्त में रानीगंज कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान (अप्रैल, 2008 तक अद्यतन किया गया) सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में अनुमोदित किया गया। • उच्च अधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय समिति की पहली बैठक मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार की अध्यक्षता में राइटर्स बिल्डिंग 06.11.2009 को आयोजित की गई थी। •एचपीसीसी की पहली बैठक सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 10 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई। • अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में एक विचार-विमर्श बैठक 17.12.2009 को सीआईएल के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। • एचपीसीसी की दूसरी बैठक सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में 05.03.2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। • उच्च अधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 27.08.2010 को आयोजित की गई। • ईसीएल मुख्यालय में जहां डीजीएमएस, सीएमपीडीआईएल और ईसीएल के प्रतिनिधि उपस्थित थे, 26.04.2010 को एक

		बैठक का आयोजन किया गया और उसमें नए अस्थाई स्थानों/स्थलों यदि कोई हो, की पहचान के बारे में चर्चा की गई। तदनुसार, नए स्थानों (रातीबाती गांव का डोम पारा और डाबोर कोलियरी का अलकुसा) की अधिसूचना डीजीएमएस द्वारा 17 अगस्त, 2010 को अस्थाई के रूप में किया गया है। • एचपीसीसी की तीसरी बैठक 27.08.2010 को आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि गौराण्डी में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टाउनशीप के बदले दुर्गापुर में डीएसपी की खाली स्थान में एक टाउनशीप स्थापित करने की व्यवहार्यता पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से तलाशी जाए। • रानीगंज मास्टर प्लान के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति की प्रगति समीक्षा करने के लिए कोयला मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शास्त्री भवन, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 19.11.2010 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
ख	जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण एवं भू-अर्जन	• जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण एवं भू-अर्जन, ढांचों का मूल्यांकन, 2.9.2010 को अस्थाई स्थलों की 7 संख्या के लिए फोटो पहचान कार्ड बनाने के लिए एक्सआईएसएस, रांची को कार्य आदेश जारी किया गया है। एक्सआईएसएस ने स्थान नं. 37 और 38 नामतः सामडीह गांव, सालनपुर क्षेत्र और केन्दा गांव, केन्दा क्षेत्र में कार्य पूरा कर लिया है। अन्य स्थानों नामतः 27-सनतोरिया गांव / सोदपुर क्षेत्र, 33-हरिशपुर गांव / कजोरा क्षेत्र 63-दारूलबंद /पांदवेश्वर क्षेत्र, 65-3सं. बस्ती 2 एवं 3 पिट के पास / केन्दा क्षेत्र एवं 80-3सं. बस्ती साउथ केन्दा यूनिट/केन्दा

		क्षेत्र के पास, में कार्य प्रगति पर है। • जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के दौरान मास्टर प्लान में यथा अनुमानित 63 के स्थान पर लगभग 100 घर पाये गए थे। ईसीएल जनसंख्या एवं सम्पदा के लिए वही सर्वेक्षण कार्य ईसीएल के संबंधित क्षेत्रों द्वारा साथ-साथ किया जा रहा है। सालनपुर क्षेत्र में, 1 बंगला, 2 "सी " इक्यू टाइप के क्वार्टर और एक कार्यालय भवन अस्थिर स्थानों में है। • 21.09.2010 को आयोजित ईसीएल की 239वीं बैठक में, ईसीएल बोर्ड ने बोंजेमारी स्थान के लिए 159.72 करोड़ रू. की निधि की रिलीज के प्रस्ताव की सिफारिश किया। भूमि के अर्जन के लिए निधि की मांग सीआईएल को भेजी गई है जिसकी जांच की जा रही है। • बोंजेममारी, गौरंगडीह और नाचन जैसे 3 प्रस्तावित पुनर्स्थापन स्थलों मे से बोंजेमारी में भूमि की पहचान का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। • ईसीएल ने डीएम, वर्धवान, एनएचएआई, आईओसी और डीआरएम, आसनसोल को क्रमशः डीवी रोड, एनएच रोड, आईओसी का पाइप लाइन और रेलवे लाईन का मार्ग बदलने के लिए यथा-शीघ्र सर्वेक्षण कार्य शुरू करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक मार्गों की पहचान के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि तैनात करने के लिए अनुरोध भेजा है। • उपर्युक्त के संबंध में एक बैठक 26.10.2010 को आयोजित की गई थी जहां डीटी (पी एंड पी), ईसीएल आरडी-1 और सालनपुर क्षेत्र और केन्दा क्षेत्र के एएसओ ने भाग लिया और सड़कों एवं रेलवे लाइनों के प्रस्तावित परिवर्तन मार्गों के बारे में

		चर्चा की। अंतिम निर्णय अभी प्रतीक्षित है।

असुरक्षित क्षेत्रों से लोगों को शिफ्ट तथा पुनर्वासित करना		
	चालू योजनाएं	
(i)	परिवारों और भूमि धारिताओं आदि का विस्तृत सर्वेक्षण	(क) पं. बंगाल राज्य सरकार का **आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण** (एडीडीए) कार्यान्वयन एजेंसी है। (ख) (4) निदर्शन स्थलों नामतः सामडीह गांव, केंदा गांव, रिफूजी बस्ती, हरिशपुर गांव और संकतोड़ियागांव का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण किया गया तथा एडीडीए द्वारा उसकी समीक्षा की जा रही है। (ग) प्रभावित स्थलों की वीडियोग्राफी पूरी हो गई है। (घ) एडीडीए को पुनर्वासन संबंधी कार्य के लिए अग्रिम के रूप में 50 लाख रू. दिया गया है। (ड.) ईसीएल ने जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण करने, और प्रांरभिक सर्वेक्षण करने तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने आदि के लिए एडीए को और 5.50 करोड़ रू. रिलीज किए हैं।
(ii)	**पहचान पत्र जारी करना**	(क) सामडीह गांव और रिफ्यूजी बस्ती के लिए पहचान पत्र जारी किए जाने हेतु तैयार हैं। (ख) अन्य स्थलों का कार्य प्रगति पर है।
(iii)	**ग्रामीणों के साथ समझौता**	प्रगति पर
(iv)	**भूमि की आवश्यकता का आकलन**	(क) दों गांवो में पूरा हो गया है। (ख) अन्य तीन गांवों में प्रगति पर है।
(v)	**भूमि की पहचान**	(क) सामडीह, केन्दा और हरीशपूर गावों के लिए भूमि की पहचान

		की गई है और ये क्रमशः बड़ापट्टाबोरा, चकडोला तथा मोंगलपुर हैं। (ख) बंगालपारा और संकतोड़िया गांव के लिए भूमि के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाना है।
(vi)	**भूमि की प्लाटिंग और समग्र आयोजना**	की जानी है।

स्थिरीकरण योजना

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
क.	चालू ईएमएससी योजनाएं	
	जहां खनन बंद हो गया था किन्तु सतह अस्थिर थी।	अस्थिर क्षेत्रों को स्थिर बनाने के लिए रानीगंज कोलफील्डों की 6 ईएमएससी परियोजनाएं थी। स्टोईंग परियोजनाओं को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।
ख	अन्य स्थलों का स्थिरीकरण तथा आनेवाली योजनाएं	
	स्थलों को प्राथमिकता देना (ईएमएससी योजनाएं)	पूरी हो गयी है।
	प्राथमिकतावार योजनाओं को तैयार करना। (आनेवाली)	• **अल्लुथिया/भरतचक (ईएमएससी-33), नरसुमदा गांव (ईएमएससी-32) तथा जीवनपारा सरकारी कालोनी विवेकानन्द स्कूल (ईएमएससी-31)** में स्थिरीकरण को कार्यान्वयन हेतु अगस्त 2005 में अनुमोदित कर दिया गया है। • अल्लुथिया/भरतचक गांव में बोरहोलों की ड्रिलिंग तथा सिविल कार्य प्रचालन हेतु तैयार है। नरसुमदा गांव में पंक्चर्ड बोरहोल में पानी नहीं मिला है। • सीएमपीडीआई, आरआई-I को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। जीवनपारा सरकारी कालोनी के स्थिरीकरण कार्य के लिए निविदा (भाग-I) 24.01.2008 को खोली गई और तकनीकी कारणों से इसे रद्द कर दिया गया। निविदा के भाग-I में नए सिरे से कार्य प्रगति पर है।